

प्रशिक्षण

(क) हिन्दी भाषा : संस्थान में कार्यरत 44 अधिकारी एवं 78 कर्मचारी में से 42 अधिकारी 78 कर्मचारी प्रशिक्षित/प्रवीणता/कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त हैं। चूँकि 80% से अधिक अधिकारी/कर्मचारी को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान है, इसलिए संस्थान को राजभाषा नियम-10(4) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है।

(ख) हिन्दी टंकण/प्रशिक्षण : संस्थान में कार्यरत कुल 05 नि.श्रे.लि. एवं 04 उ.श्रे.लि.को हिन्दी टंकण का पर्याप्त ज्ञान है एवं वे हिन्दी में टंकण कार्य करते हैं।